



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U. P. Power Corporation Limited

(U.P.Govt. Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या: 11-अ०प्र०(2ब)/पा०का०लि०/2023-प्रोन्नति(02ब)/2022-23

दिनांक: 25 फरवरी, 2023

कार्यालय ज्ञाप

विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित सहायक अभियन्ताओं (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) को अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर नियुक्त तथा स्तम्भ संख्या-4 में उल्लिखित निगम को तैनाती हेतु आवंटित किया जाता है:-

क्र० सं०	अभियन्ताओं का नाम/SAP ID/ अभिज्ञान सं०/जन्मतिथि/से०नि० तिथि/ गृह जनपद	सहायक अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती कार्यालय/निगम	अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् आवंटित निगम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आरती गौतम/11000242/2015382/01.01.1989/31.12.2048/लखनऊ।	सहायक अभियन्ता (सं०), मुख्य अभियन्ता लखनऊ जोन म०वि०वि०नि०लि०।	उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
2	पारुल कैमिया/11001082/2015383/29.12.1991/31.12.2051/मुजफ्फरनगर।	सहायक अभियन्ता (सं०), विद्युत वितरण मण्डल-11, अलीगढ़ द०वि०वि०नि०लि०।	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०।
3	अश्वनी कुमार वर्मा/11002466/2015421/28.12.1989/31.12.2049/कानपुर।	सहायक अभियन्ता, हंसपुरम, केस्को, कानपुर, केस्को लि०।	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०।
4	चन्द्र शेखर/11001809/2015385/17.12.1987/31.12.2047/मऊ।	सहायक अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-11 फतेहपुर, पू०वि०वि०नि०लि०।	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०।
5	राहुल गौतम/11005671/2015388/29.10.1984/31.10.2044/मेरठ।	उपखण्ड अधिकारी-6, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-2, मुरादाबाद, पा०वि०वि०नि०लि०।	उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
6	दिलीप कुमार/11001037/2015390/01.07.1987/30.06.2047/फिरोजाबाद।	उपखण्ड अधिकारी-4, थाथिया, विद्युत वितरण खण्ड-कन्नौज, द०वि०वि०नि०लि०।	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०।
7	सौरभ निगम/11003895/2015392/29.01.1991/31.01.2051/सिद्धार्थनगर।	सहायक अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड- हाथरस, द०वि०वि०नि०लि०।	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०।

2- यह प्रोन्नति आदेश दिनांक 01.03.2023 से प्रभावी होगा।

3- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि प्रोन्नत अधिकारी ने कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाका०लि०(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित कर लिया है।

क्रमशः.....2

- 4- उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारियों को कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-2900-प्रशि०-10/पाकालि दिनांक 23.12.2003 के प्राविधानानुसार उनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् मुख्य अभियन्ता, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास उ०प्र० पाकालि, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसमें इनका भाग लेना अनिवार्य होगा।
- 5- उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारियों को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय।
- 6- यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में, कार्यालय ज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, प्रत्येक व्यावहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।
- 7- यह प्रोन्नति आदेश मा० उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका सं०-4274/2022, आशुतोष कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन है।

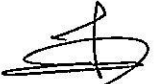
अध्यक्ष

संख्या: 11(1)अ०प्र०(2ब)/पा०का०लि०/2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्वल, वाराणसी/मध्यान्वल, लखनऊ/दक्षिणान्वल, आगरा/पश्चिमान्वल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को, कानपुर।
- 3- अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०।
- 5- समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०।
- 6- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- 7- उप सचिव, ज०श० प्रशि० एवं प्रशा०सु०/गोपन/अ०प्र०-(03/04)/अ०प्र०-07 उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- 8- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,


(सदानन्द)
उप सचिव